



MEDIATION FOR THE NATION DRIVE - 2.0
(A 90 DAYS SPECIAL MEDIATION DRIVE)

AT

SAMADHAN

DELHI HIGH COURT MEDIATION AND CONCILIATION CENTRE

LAUNCHED BY

MEDIATION AND CONCILIATION PROJECT COMMITTEE (MCPC)
SUPREME COURT OF INDIA

FOR

SETTLEMENT OF DISPUTES THROUGH MEDIATION

STARTING FROM 19.01.2026

**FOR AVAILING THE ABOVE OPPORTUNITY FOR AMICABLE SETTLEMENT AND
FOR MAKING REFERENCE OF THE PENDING CASES FOLLOWING PROCESS
CAN BE FOLLOWED:**

- 1. AN APPLICATION CAN BE MADE TO THE NODAL OFFICER PROVIDING
CASE NUMBER AND MEMO OF PARTIES.**
- 2. THEREAFTER, THE MATTER WILL BE LISTED BEFORE THE
JOINT REGISTRAR (JUDICIAL) ON ADVANCE NOTICE TO THE PARTIES.**
- 3. WITH THE CONSENT OF THE PARTIES, JOINT REGISTRAR (JUDICIAL)
SHALL REFER THE MATTER FOR MEDIATION.**
- 4. PARTIES WILL BE REQUIRED TO APPEAR BEFORE THE MEDIATION
CENTRE ON THE DATE FIXED.**
- 5. ADDITIONALLY, IDENTIFICATION AND REFERRAL OF SUITABLE CASES
FOR MEDIATION HAVE BEEN DIRECTED TO BE TAKEN UP TILL 31.01.2026.
PLEASE WATCH THE DAILY CAUSE LIST FOR THE SAME.**

NODAL OFFICER

Mr. Alok Shukla, OSD(CFM)

Email : shukla.alok@ajj.gov.in



“एक स्वर्णिम अवसर”

राष्ट्र हेतु मध्यस्थता अभियान - 2.0

(90 दिन का विशेष मध्यस्थता अभियान)

मध्यस्थता एवं सुलह परियोजना समिति (MCPC)

भारतीय सर्वोच्च न्यायालय

द्वारा लॉन्च किया गया

मध्यस्थता के माध्यम से विवादों के समाधान हेतु

दिनांक: 19.01.2026 से प्रारंभ

स्थान: समाधान

दिल्ली उच्च न्यायालय मध्यस्थता एवं सुलह केंद्र

आपसी सहमति से विवादों के समाधान हेतु उपरोक्त अवसर का लाभ उठाने तथा लंबित मामलों को मध्यस्थता हेतु भेजने के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन किया जा सकता है:

1. नोडल अधिकारी को केस नंबर और पार्टियों का मेमो (Memo of Parties) देते हुए आवेदन किया जा सकता है।
2. इसके बाद, पार्टियों को अग्रिम सूचना देते हुए मामले को संयुक्त रजिस्ट्रार (न्यायिक) के समक्ष सूचीबद्ध किया जाएगा।
3. पार्टियों की सहमति से, संयुक्त रजिस्ट्रार (न्यायिक) मामले को मध्यस्थता के लिए भेजेंगे।
4. पार्टियों को तय तारीख पर मध्यस्थता केंद्र में उपस्थित होना होगा।
5. इसके अतिरिक्त, मध्यस्थता के लिए उपयुक्त मामलों की पहचान और रेफरल का कार्य दिनांक 31.01.2026 तक करने का निर्देश दिया गया है। कृपया इसके लिए दैनिक कॉज (केस) लिस्ट देखें।

नोडल अधिकारी

श्री आलोक शुक्ला,

विशेष कार्य-अधिकारी, OSD (CFM)

ईमेल: shukla.alok@aij.gov.in